न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 18/336

1. शान्ति बाई (मृतक) पुत्री स्व0 बिरधी लाल पत्नी इन्द्र कुमार जरिये कायममुकामान :–
   1/1. महावीर पंचौली पुत्र श्री इन्द्र कुमार
   1/2. योगेश पंचोली पुत्र श्री इन्द्र कुमार
   1/3. प्रमोद पंचोली पुत्र श्री इन्द्र कुमार
   1/4. जगदीश पंचोली पुत्र श्री इन्द्र कुमार निवासीगण पंचोली सदन कैथूनी पोल कोटा ।
2. लाडकंवर उर्फ सावित्री पुत्री बिरधीलाल एवं पत्नी सुरेश चन्द शर्मा निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी आर्य समाज रोड कोटा ।
3. गीता बाई उर्फ गायत्री बाई पुत्री बिरधी लाल एवं पत्नी राममाहेन शर्मा निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा ।
4. बृजकन्या उर्फ बृजलता पुत्री बिरधी लाल एवं पत्नी रामबाबू व्यास निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 1352 बसन्त विहार कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र मदन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी 1–सी–17 तलवण्डी कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम धनवा की

आराजी कुल 03 किता की रकबा 8.18 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी कम 2 से मिली भगत कर अपने खातेदारी में बतौर दत्तक पुत्र दर्ज करवा ली और उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम के आधार पर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देते हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार मृतक बिरधी लाल की पुत्रियॉं होने से घोषित किया जावे एवं बतौर खातेदार वादीगण का नाम खाते में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द न अन्तरण आदि नहीं करें ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी कम 1 ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर मुकदमा किया जो दिनांक 12.05.2006 को डिक्री हुआ था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की जिसमें वादीगण ने आदेश 01 नियम 10 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 04.05.2010 को खारिज हो गया था तथा निर्णय दिनांक 12.05.2006 के विरूद्ध इस वाद में वादीगण ने अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहॉं पेश की जो दिनांक 15.07.2009 को खारिज हो गई थी । वादीगण ने पूर्व में पेश व निर्णित हुए दावों के निर्णय को छुपाते हुए नया दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । वादग्रस्त आरीजी के सम्बन्ध में जब तक अपील जैरकार तथा इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त नहीं कर दिया जावे प्रस्तुत वाद मेन्टेनेबल नहीं है । अतः वाद बिना वादकारण से तथा मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता स्व0 बिरधीलाल जी के कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1 ने स्वयं को बिरधी लाल का गोदपुत्र बताकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज करवा कर अपना 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया । प्रतिवादी कम 1 ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी कम 2 को व अन्य को पक्षकार बनाकर दावा पेश किया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि उस वाद में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार थी । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने खारिज कर दिया और अपील को भी खारिज कर दिया और यह निर्देशित किया था कि वादग्रस्त आराजी में अपने अधिकार

जताते हैं तो पृथक से अपने अधिकारों के लिए अन्तर्गत धारा 88 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत करे । तद्उपरान्त अपीलान्टगण ने दावा पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 ने प्रतिवादी क्रम 2 के साथ मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादी न तो वादीगण का भाई है और न उनके पिता का दत्तक पुत्र । वादीगण ने दावा पेश किया था जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते त्रुटिपूर्ण रूप से दावा खारिज किया है । इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता स्व0 बिरधी लाल के खाते एवं कब्जे काश्त की थी । उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ने स्वयं को बिरधी लाल का गोदपुत्र बताकर दावा पेश किया व आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली । प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी क्रम 2 को व अन्य पक्षकार बनाकर दावा पेश किया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि उस वाद में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार थी । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार वादग्रस्त आराजी पर दर्ज करवा लिये हैं । जब अपीलान्ट को पता चला तो न्यायालय में अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने खारिज कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अपील भी खारिज कर दी और पृथक से दावा करने के निर्देश दिये गये । अपीलान्ट ने दावा पेश किया और उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण से खारिज किया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में दावे को ही पढा जा सकता है न कि प्रतिवादीगण के कहे कथनों को । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डीएनजे 2015 (एससी) पेज 242, 2016 (2) आरआरटी पेज 1360 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सुरेश चन्द ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश किया था जो दिनांक 12.05.2006 को डिक्री हुआ था जिसकी अपील में वादीगण अपीलान्ट ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 04.05.2010 को खारिज हो गया । वादीगण ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की थी जो खारिज की गई । पूर्व में पेश हुए एवं निर्णित दावे को छुपाते हुए नया दावा पेश किया है जो विधि व न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए पेश किया है । पूर्व में प्रतिवादी के पक्ष में दावा डिक्री किया जा चुका है जिसकी अपील वादीगण राजस्व मण्डल में पेश कर चुके हैं

जो जैरकार है । द्वितीय अपील के तथ्यों को छुपाकर यह नया दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अपील जैरकार होने से वादीगण का वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । वादग्रस्त आराजी बिरधी लाल के खाते से सीधे रेस्पोडेन्ट के खाते में नहीं आई है बल्कि उनके द्वारा 2000/– रूपये में यह आराजी गणपत सिंह को बेची गई थी । रेस्पोडेन्ट के खाते में दावे की डिक्री होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी आई है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया है । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये दस्तावेज जो अविवादित हैं को देख जा सकता है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे । अपने पत्र में समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 (2) पेज 1390, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) राज0 पेज 81, आरआरटी 2018 (1) पेज 534 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी बिरधी लाल के खाते की थी और प्रतिवादी कम 1 ने बिरधीलाल का दत्तक पुत्र बनकर अपने खाते दर्ज करवा ली है जबकि वो बिरधी लाल का दत्तक पुत्र नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी दीगोद के निर्णय दिनांक 12.05.2006 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार सुरेश चन्द ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का किया है और दावे में यह कथन किया है कि गणपत सिंह के खातेदारी में वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 04.05.59 को 2000/– रूपये प्रतिफल के आधार पर ग्राम पंचायत के द्वारा दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.05.2006 को दावा डिक्री किया है इसके खिलाफ अपीलान्टण ने एक अपील इस न्यायालय में पेश की थी जो दिनांक 15.07.2009 को खरिज की गई है । इसके अलावा अपील संख्या 49/06 में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी को दिनांक 04.05.2010 को खारिज किया गया है । पत्रावली पर एक निगरानी जो कि माननीय राजस्व मण्डल में वादीगण के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.05.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है की प्रमाणित प्रति पेश की गई है और माननीय राजस्व मण्डल की आदेशिका की कुछ प्रतियॉ भी पेश की गई हैं ।

11. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि अपीलान्टगण की यह निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में जैरकार है । अपीलान्टगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें पूर्व में पेश किये गये दावे, वादीगण द्वारा पेश की गई अपील, द्वितीय अपील के किसी भी तथ्य का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि वादीगण को क्लीन हैण्ड से न्यायालय में आते हुए सभी तथ्यों का जिक्र किया जाना चाहिए । वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल में एक निगरानी पेश की हुई है । निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में जैरकार रहते हुए वादीगण का नया दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत हैं कि आदेश 07 नियम सीपीसी के तहत निर्णय पारित करते हुए सम्बन्धित दावे में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु वादीगण ने दावे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है वो क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी लम्बित रहते हुए नये दावे के लिए वादकारण नहीं माना जा सकता । ऐसी स्थिति में धारा 151 सीपीस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के दावे को खारिज किया जा सकता है । आरएलडब्ल्यू 2008 (2) पेज 1390, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) राज0 पेज 81, आरआरटी 2018

(1) पेज 534 यहॉ चस्पा होती है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट का दावा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपीलान्टगण का यदि वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार एवं स्वत्व निहित है तो वे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में उनकी लम्बित निगरानी में तय हो सकते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/336

1. शान्ति बाई (मृतक) पुत्री स्व0 बिरधी लाल पत्नी इन्द्र कुमार जरिये क़ायममुकामान :–
   1/1. महावीर पंचौली पुत्र श्री इन्द्र कुमार
   1/2. योगेश पंचोली पुत्र श्री इन्द्र कुमार
   1/3. प्रमोद पंचोली पुत्र श्री इन्द्र कुमार
   1/4. जगदीश पंचोली पुत्र श्री इन्द्र कुमार निवासीगण पंचोली सदन कैथूनी पोल कोटा ।
2. लाडकंवर उर्फ सावित्री पुत्री बिरधीलाल एवं पत्नी सुरेश चन्द शर्मा निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी आर्य समाज रोड कोटा ।
3. गीता बाई उर्फ गायत्री बाई पुत्री बिरधी लाल एवं पत्नी राममाहेन शर्मा निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा ।
4. बृजकन्या उर्फ बृजलता पुत्री बिरधी लाल एवं पत्नी रामबाबू व्यास निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 1352 बसन्त विहार कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र मदन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी 1–सी–17 तलवण्डी कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद, जिला कोटा।

वाद संख्याः 119/दावा/2012

1. शान्ति बाई पुत्री स्व0 बिरधी लाल पत्नी स्व0 इन्द्र कुमार निवासी ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल कैथूनी पोल, कोटा ।
2. लाडकंवर उर्फ सावित्री पुत्री बिरधीलाल एवं पत्नी सुरेश चन्द शर्मा निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी आर्य समाज रोड कोटा ।

गीता बाई उर्फ गायत्री बाई पुत्री बिरधी लाल एवं पत्नी राममाहेन शर्मा निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा ।
बृजकन्या उर्फ बृजलता पुत्री बिरधी लाल एवं पत्नी रामबाबू व्यास निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 1352 बसन्त विहार कोटा ।

——वादी

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र मदन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी 1–सी–17 तलवण्डी कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा